

175/2022

आज्ञा विरुद्ध रूप से

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा का कार्यवाही	विवरण
	17/5/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब को प्रतिपरीक्षण की तमाम जानकारी प्रदान की गई। प्रमाणित में एक शीट अतिरिक्त उपलब्ध कराया जाता है। आगामी पेश पर एडिशनल सहायक जज के रिपोर्ट आपस में पेश करें। अन्यथा बादी का वास 09/08/24 के तहत खारिज किया जाएगा। पत्रावली दि 20/6/24 को पेश हो।
	20/6/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/6/24 को पेश हों।
	31/7/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/9/24 को पेश हों।
	19/9/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/10/24 को पेश हों।
सीता देवी	23/10/24	पत्रावली प्राप्त हुई। वरदान वरदान के लिए जाने का पत्रावली पेश करने के लिए वरदान के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही पर स्वामी साहब जा रहे हैं। वरदान के पत्रावली के लिए जाने का पत्रावली पेश करने के लिए वरदान के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही पर स्वामी साहब जा रहे हैं।

Handwritten signature and notes in the left margin, including the name 'सीता देवी' and dates.

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर जयपुर

पत्र संख्या 175/2022

श्रीमती सीता देवी पत्नी कैलाश चन्द चौधरी जाति तहसील सांगानेर जिला जयपुर

बनाम

प्रमातीलाल पुत्र श्री छीतर जाति जाट निवासी जिला जयपुर

मंवरलाल पुत्र श्री प्रमातीलाल जाति जाट निवासी जिला जयपुर

बजरंगलाल पुत्र श्री प्रमातीलाल जाति जाट सांगानेर जिला जयपुर

जयराम पुत्र श्री प्रमातीलाल जाति जाट निवासी जिला जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1950 के अन्तर्गत व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत

मान्यवर

वादिया की ओर से वाद पत्र निम्नलिखित है। वादिया की हाल आराजी कर्तव्य है, खसरा नं० 292 रकबा 0.24 है०